न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—15/2021 (2021/191) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—शिवसिंह पिता रूपदान जाति चारण निवासी बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1—काजेन्द्रसिंह उर्फ तेजबहादुरसिंह पिता नाराणसिंह चारण निवासी बाड़ी तहसील रायपुर
2—चन्द्रशेखरसिंह दत्तक पुत्र मुरारदानसिंह चारण निवासी रायपुर तहसील रायपुर
3—चन्द्रसिंह पुत्र नाराणसिंह चारण निवासी बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—बहादूरसिंह पुत्र नाराणसिंह चारण निवासी बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—विकेन्द्रसिंह उर्फ दिलबहादुरसिंह पुत्र नाराणसिंह चारण निवासी बाड़ी तहसील रायपुर
6—बरदीदेवी पत्नि अम्बालाल कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—कोयली पत्नि गणेश भील निवासी बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—देवीलाल पुत्र गणेश भील निवासी बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा **नाम डिलिट**
8—देवीलाल पुत्र गणेश भील मृतक के बजाय
8/1—नारायण पिता देवीलाल भील निवासी बाड़ी आयु बालिग तहसील रायपुर
8/2—अर्जुन पिता देवीलाल भील निवासी बाड़ी आयु बालिग तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8/3—बदामी पत्नि देवीलाल भील निवासी बाड़ी आयु बालिग तहसील रायपुर
9—नन्दराम पुत्र गणेश भील निवासी बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10—धापु पत्नि उदा भील निवासी बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा **नाम डिलिट**
11—नाराण पुत्र उदा भील निवासी बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12—पन्ना पुत्र उदा भील निवासी बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13—प्यारा पुत्र उदा निवासी बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14—भैरू पुत्र उदा भील निवासी बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15—अम्बालाल पुत्र बगतावर कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16—कृष्णगोपाल पुत्र सोहन कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
17—खेमा पुत्र बगतावर कुमावत निवासी बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
18—रूकमण पुत्री सोहन कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
19—शान्ति पुत्री सोहन कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
20—सायरीदेवी पत्नि सोहन कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
21—मांगु पुत्र लुम्बा भील निवासी बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
22—भागीरथ पुत्र खेमचन्द कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
23—श्रीमान लैण्ड होल्डर साहब जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन — प्रार्थीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक—07.07.2022

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बाड़ी पटवार हल्का बागोलिया तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी

अधिकारो की कृषि आराजियात खाता संख्या 73 में अंकित आराजी संख्या 1698 रकबा 0.46 है0, आराजी संख्या 1697 रकबा 0.42 है0 जो प्रार्थी व अन्य खातेदार तथा विपक्षी संख्या 1 से 5 के शामलाती दर्ज रेकार्ड है व खाता संख्या 354 में अकिंत आराजी संख्या 1598 रकबा 2.53 है0 व 1617 रकबा 0.03 गे.मु.आचा, भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित है। प्रमाण में वर्तमान जमाबंदी व नक्शाट्रेस साथ प्रस्तुत है। प्रार्थी उक्त खातेदारी कृषि आराजियात जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में किया गया है में आवागमन का एकमात्र कदीमी रास्ता ग्राम बाड़ी की सरकारी बिलानाम आ.स. 1835 में किस्म गे.मु. सड़क से होकर विपक्षी संख्या 1 लगायत 5 की आराजी संख्या 1676 की दक्षिणी पाली से होते हुए आगे विपक्षी संख्या 6 की आराजी संख्या 1675 की दक्षिणी पाली व विपक्षी संख्या 7 से 9 की आराजी संख्या 1671 की उत्तरी पाली से होते हुए आगे विपक्षी संख्या 10 से 14 की आराजी संख्या 1674 की उत्तरी पाली व विपक्षी संख्या 15 लगायत 20 की आराजी संख्या 1694 की दक्षिणी पाली व विपक्षी संख्या 21 की आराजी संख्या 1695 की उत्तरी पाली पर पर होते हुए आगे विपक्षी 21 की आराजी संख्या 1696 की पूर्वी व दक्षिणी पाली पर होते हुए मुझ प्रार्थी की शामलाती आराजी संख्या 1698 में होता हुआ आराजी संख्या 1617 व 1598 व अन्य आराजियात में आवागमन का रास्ता 15 फीट चौड़ाई में स्थित है तथा इसी रास्ते से वर्षो से प्रार्थी व अन्य खातेदारान आवागमन करते चले आ रहे है। प्रार्थी की उक्त कृषि आराजियात में आवगमन का एक मात्र रास्ता प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में अंकित विपक्षीगण की आराजियात में होकर जाता है इसके अलावा प्रार्थी की कृषि आराजियात में आवागमन का कोई रास्ता उपलब्ध नही है। उक्त रास्ता प्रार्थी की कृषि आराजियात में आवागमन का अत्यन्त आवश्यकता का रास्ता है, जो मौके पर वर्तमान में खुला हुआ है परन्तु विपक्षीगण उक्त रास्ते में आये दिन अवरोध पैदा कर देते है व लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू होते है जिससे उक्त विद्यमान रास्ते को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम सरकार किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी की सादर प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की उक्त वर्णित प्रार्थी की कृषि आराजियात में आवागमन का रास्ता विपक्षीगण की आराजी संख्या 1676, 1675, 1671, 1674, 1694, 1695, 1696, 1698 में 15 फीट चौड़ाई में बिलानाम सरकारी गे.मु. रास्ता दर्ज करने का आदेश तहसीलदार रायपुर को प्रदान किया जाकर रास्ते के रूप में काम आने वाली भूमि डीएलसी दर से राशि विपक्षीगण को दिलाने का आदेश प्रदान फरमाया जाए।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जो शमिल पत्रावली किया गया एवं विपक्षी संख्या 2 लगायत 4 को काफी अवसर देने के बाद भी जवाब प्रस्तुत नही करने से जवाब बन्द किया गया एवं विपक्षी संख्या 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 21 स्वयं उपस्थित होकर रास्ता देने में सहमति व्यक्त की गई एवं विपक्षी संख्या 7, 10 की मृत्यु हो गइे उनके वारीस रेकार्ड पर है जिससे नाम डिलिट किया गया तथा विपक्षी संख्या 5, 6, 13, 16, 18, 19, 20, 22 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने

का निर्णय लिया गया एवं विपक्षी संख्या 23 फॉरमल पक्षकार है जिन्होने मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली है।

विपक्षी संख्या 1 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए अंकन किया कि प्रार्थी की ग्राम बाड़ी में स्थित आराजी संख्या 1598, 1697, 1698 में आने जाने का कोई रास्ता आराजी संख्या 1833 व विपक्षीगण 1 से 5 की आराजी संख्या 1676 व विपक्षीगण संख्या 6 से 22 की आराजी में होकर नही जाता है बल्कि प्रार्थी का अपनी आराजी में आने जाने का 15 फीट चौडा रास्ता चिलेश्वर से रायपुर जाने वाली सड़क से लगा हुआ है। आराजी संख्या 1576, 1577 की मेड़ पर होकर जाता है जो काफी पुराना है जिससे प्रार्थी अपनी आराजी संख्या 1576, 1710, 1711, 1714, 1717, 1720, 1721 से होता हुआ 1698 में आ जा रहा है। इसी प्रकार से दुसरा रास्ता चिलेश्वर से रायपुर जाने वाली मुख्य सड़क से होता हुआ प्रार्थी की आराजी संख्या 1687 से होता हुआ आराजी संख्या 1714, 1712, 1691, 1692 और 1697 से होता हुआ 1698 तक जाता है। दोनो रास्तो का प्रार्थी कई वर्षो से उपयोग कर रहा है। आराजी संख्या 1676 में कोई रास्ता नही है। विपक्षी क़ी आराजी संख्या 1676 में कोई रास्ता नही है। विपक्षी की भूमि को खराब करने की नियत से रास्ता कराना चाहता है। मजीद कथन के रूप में निवेदन किया कि प्रार्थी को अपनी आराजी में आने जाने के दो वैकल्पिक रास्ते मौजुद जिनका वर्णन जवाब में वर्णन किया है। प्रार्थी अपनी पहुॅच का नाजायज फायदा उठाकर विपक्षी की आराजी में रास्ता कायम कराना चाहता है जिसका प्रार्थी को कोई अधिकार नही है। मौका रिपोर्ट बनाई उसमें प्रार्थी को सूचना नही दी गई।

तहसीलदार रायपुर द्वारा मौका रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम बाड़ी की भूमि आराजी संख्या 1676, 1675, 1694, 1696 की उत्तरी दिशा की ओर स्थित आराजी की दक्षिणी मेड़े व आराजी संख्या 1659, 1660, 1671, 1674, 1695 दक्षिणी की ओर स्थित आराजी की उत्तरी मेड़े में 7.5—7.5 फीट चोड़ाई में कुल 15 फीट चोड़ाई में राजस्व रेकार्ड एवं मौका स्थिति अनुसार भूमि रास्ते में आती है जिसको नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से अंकन कर रखा है। सभी भूमियां खातेदारी है जिसकी जमाबन्दी नकलें सलंग्न की गई है उक्त भूमियां प्रतिबंधित श्रेणी की नही है। ग्राम बाड़ी की कृषि भूमि आराजी संख्या 1676 रकबा 1.08 है0 मे से 0.0650 है0, आराजी संख्या 1675 रकबा 1.38 मे से 0.0300 है0, आराजी संख्या 1694 रकबा 0.79 मे से 0.0250, आराजी संख्या 1696 रकबा 0.37 है0 मे से 0.0500 है0, आराजी संख्या 1659 रकबा 0.64 है0 मे से 0.0100 है0, आराजी संख्या 1660 रकबा 0.34 है0 मे से 0.0150 है0, आराजी संख्या 1671 रकबा 0.62 है0 मे से 0.0200 है0, आराजी संख्या 1674 रकबा 0.65 है0 मे से 0.0150 है0, आराजी संख्या 1695 रकबा 0.65 है0 मे से 0.0200 है0 कुल भूमि रकबा 0.2500 है0 रास्ते के आवागमन हेतु बनती है। मौका स्थल पर मौका जांच के दौरान आराजी संख्या 1676 के उपस्थित खातेदरान ने असहमति जताई है शेष उपस्थित खातेदारान ने कोई आपत्ति नही जताई है। उक्त आराजियात में सिंचित भूमि के आराजी संख्या 1675, 1659, 1660 है एवं असिंचित भूमि आराजी संख्या 1676, 1694, 1696, 1671, 1674, 1695 है। उक्त भूमियां अन्दर हल्का आबादी ग्राम बाड़ी एवं ग्राम सुरास, बाड़ी सड़क के पश्चिम की ओर पास वाली श्रेणी में आती है भूमि किमत की रिपोर्ट टीआर शाखा रायपुर से पृथक से संलग्न है।

तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विपक्षी अधिवक्ता द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई कि वक्त मौका निरीक्षण हमे सूचित नही किया गया जिस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नायब तहसीलदार उपखण्ड कार्यालय रायपुर से दुबारा मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने हेतु आदेशित किया जिस पर नायब तहसीलदार रायपुर के द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

मैंने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट तथा उभयपक्ष पक्षकारान को सुनने पर पाया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात मे आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ता किसी एक खातेदार की आराजियात से नही होकर दोनो आराजियात के मध्य से प्रस्तावित किया गया है। विपक्षी अधिवक्ता के द्वारा पत्रावली में तहसीलदार रायपुर के द्वारा जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसमें आक्षेप कर दुबारा मौका रिपोर्ट हेतु निवेदन किया गया जिस पर प्रार्थी की आपत्ति को स्वीकार करते हुए नायब तहसीलदार उपखण्ड कार्यालय रायपुर से मौका निरीक्षण कराया गया। नाबय तहसीलदार रायपुर के द्वारा मौका निरीक्षण से पूर्व विपक्षीगण को मौके पर उपस्थित रहने हेतु सूचित करते हुए मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

नायब तहसीलदार रायपुर के द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें अंकन किया कि विपक्षीगण 1 से 4 की ओर से जो रास्ता अपने जवाब के साथ मय नक्शा अनुसार आराजी संख्या 1576, 1721, 1720, 1717, 1716, 1711, 1710 प्रार्थी की खातेदारी भूमि स्थित होना दर्शाया गया है किन्तु आराजी संख्या 1710 की पश्चिमी मेड़ पर पक्की बाउण्ड्री वाल बना रखी है जिससे आवागमन रास्ता नही है, उक्त दीवार के दक्षिण पश्चिम की तरफ आरसजी संख्या 1700 एवं आराजी संख्या 1701, 1702 तालाब पेटा क्षैत्र होकर वर्षा काल में मौके पर पानी भरा रहने से आवागमन नही किया जा सकता है। विपक्षीगण 1 से 4 की आराजी संख्या 1676 की दक्षिणी मेड़ के सहारे सहारे मात्र 7.5 फीट जमीन रास्ते हेतु प्रस्तावित है जिसका कुल क्षैत्रफल 650 वर्गमीटर भूमि बनती है इसके अलावा आगे जितने भी खातेदारो की भूमि में रास्ता प्रस्तावित है उसमें किसी भी विपक्षीगण को कोई आपत्ति नही है। विपक्षी संख्या 1 से 4 को मौके पर उपस्थित होने की सूचना दी गई जिस पर विपक्षीगण 1 के पुत्र उपस्थित हुए जिन्होने आराजी संख्या 1676 में चाहा गया रास्ता देने में असहमति व्यक्त की गई।

उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा और कोई वैकल्पिक रास्ता नही होना दोनो मौका रिपोर्ट में दर्शाया गया है। इसके साथ ही विपक्षी संख्या 1 से 4 की भूमि मे से जो रास्ता प्रस्तावित किया गया है वो सम्पूर्ण आराजी मौके पर पड़त पड़ी हुई है। किसी प्रकार की कोई काश्त नही है। और रास्ता दोनो तरफ की आराजियात से प्रस्तावित है अकेले विपक्षी 1 से 4 की आराजी से नही है। विपक्षीगण की 1 से 4 की ओर से जो वैकल्पिक रास्ता दर्शाया गया है जो मौका स्थिति अनुसार अनुकुल नही है। विपक्षी 1 की ओर से दिनांक 30.06.2022 को पुनः मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर आपत्ति बाबत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारीज किया जाता है।

विपक्षी 1 से 5 की आराजियात 1676 मे से मात्र 650 वर्गमीटर भूमि रास्ते के रूप में मौका रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित है अन्य विपक्षीगण के द्वारा अपनी अपनी आरायियात में से

रास्ता देने हेतु किसी के द्वारा कोई आपत्ति नही कर सहमति व्यक्त की गई है। प्रस्तावित सम्पूर्ण रास्ता विपक्षी संख्या 1 से 4 की भूमि से होता तो विपक्षी की आपत्ति कुछ हद तक स्वीकार योग्य थी किन्तु प्रार्थी द्वारा जो रास्ता प्रस्तावित है वो दोनो ओर के खातेदारो के मध्य प्रस्तावित है तो उसमें किसी एक खातेदार द्वारा की गई आपत्ति स्वीकार योग्य नही है।

इस प्रकरण में मुख्य बात यह है कि विपक्षी संख्या 1 से 5 की आराजी संख्या 1676 मे से मात्र 650 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित की गई है इसके अतिरिक्त अन्य किसी विपक्षी खातेदारान को कोई आपत्ति नही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी आराजी संख्या 1697 की सीमा तक रास्ता देने तक स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बाड़ी तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजियात में आवागमन हेतु विपक्षीगण की आराजी संख्या 1676 रकबा 1.08 है0 मे से 0.0650 है0, आराजी संख्या 1675 रकबा 1.38 मे से 0.0300 है0, आराजी संख्या 1694 रकबा 0.79 मे से 0.0250 है0 की दक्षिणी मेड़ के सहारे सहारे व आराजी संख्या 1659 रकबा 0.64 है0 मे से 0.0100 है0, आराजी संख्या 1660 रकबा 0.34 है0 मे से 0.0150 है0, आराजी संख्या 1671 रकबा 0.62 है0 मे से 0.0200 है0, आराजी संख्या 1674 रकबा 0.65 है0 मे से 0.0150 है0, आराजी संख्या 1695 रकबा 0.65 है0 मे से 0.0200 है0 भूमि उत्तरी मेड़ के सहारे सहारे कुल भूमि रकबा 0.2000 है0 भूमि रास्ते हेतु स्वीकृत की गई है उनमें से विपक्षी संख्या 6 लगायत 21 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि निशुल्क रास्ता देने की सहमति व्यक्त करने से किसी प्रकार की मुआवजा राशि का भुगतान नही किया जाता है उनके अतिरिक्त विपक्षी संख्या 1 से 5 की आराजी संख्या 1676 रकबा 1.08 है0 मे से 0.0650 है0, यानि 650 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित है जिसकी डीएलसी दर 350606/–रूपये प्रति हेक्टयर से 22789/–रूपये भूमि कीमत बनती है जिसका दुगुना करने पर 45578/–रूपये मुआवजा राशि बनती है उक्त राशि का प्रार्थी द्वारा विपक्षी खातेदारान संख्या 1 लगायत 5 को भुगतान करने पर उक्त आराजियात मे से प्रस्तावित रास्ते का कुल रकबा 0.2000 है0 यानि 2000 वर्गमीटर भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को हुक्मनामा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

07/07/2022

(सुन्दर लाल बम्बोड़ा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–15/2021 (2021/191) प्रार्थना पत्र

अनवान

1–शिवसिंह पिता रूपदान जाति चारण निवासी बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1–काजेन्द्रसिंह उर्फ तेजबहादुरसिंह पिता नाराणसिंह चारण निवासी बाड़ी तहसील रायपुर
2–चन्द्रशेखरसिंह दत्तक पुत्र मुरारदानसिंह चारण निवासी रायपुर तहसील रायपुर
3–चन्द्रसिंह पुत्र नाराणसिंह चारण निवासी बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–बहादूरसिंह पुत्र नाराणसिंह चारण निवासी बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5–विकेन्द्रसिंह उर्फ दिलबहादुरसिंह पुत्र नाराणसिंह चारण निवासी बाड़ी तहसील रायपुर
6–बरदीदेवी पत्नि अम्बालाल कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7–कोयली पत्नि गणेश भील निवासी बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा **नाम डिलिट**
8–देवीलाल पुत्र गणेश भील मृतक के बजाय
8/1–नारायण पिता देवीलाल भील निवासी बाड़ी आयु बालिग तहसील रायपुर
8/2–अर्जुन पिता देवीलाल भील निवासी बाड़ी आयु बालिग तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8/3–बदामी पत्नि देवीलाल भील निवासी बाड़ी आयु बालिग तहसील रायपुर
9–नन्दराम पुत्र गणेश भील निवासी बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10–धापु पत्नि उदा भील निवासी बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा **नाम डिलिट**
11–नाराण पुत्र उदा भील निवासी बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12–पन्ना पुत्र उदा भील निवासी बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13–प्यारा पुत्र उदा निवासी बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14–भैरू पुत्र उदा भील निवासी बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15–अम्बालाल पुत्र बगतावर कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16–कृष्णगोपाल पुत्र सोहन कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
17–खेमा पुत्र बगतावर कुमावत निवासी बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
18–रूकमण पुत्री सोहन कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
19–शान्ति पुत्री सोहन कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
20–सायरीदेवी पत्नि सोहन कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
21–मांगु पुत्र लुम्बा भील निवासी बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
22–भागीरथ पुत्र खेमचन्द कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
23–श्रीमान लैण्ड होल्डर साहब जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

मुकदमा नम्बरः–15/2021 (2021/191) प्रार्थना पत्र

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :–तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बाड़ी तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजियात में आवागमन हेतु विपक्षीगण की आराजी संख्या 1676 रकबा 1.08 है0 मे से 0.0650 है0, आराजी संख्या 1675 रकबा 1.38 मे से 0.0300 है0, आराजी संख्या 1694 रकबा 0.79 मे से 0.0250 है0 की दक्षिणी मेड़ के सहारे सहारे व आराजी संख्या 1659 रकबा 0.64 है0 मे से 0.0100 है0, आराजी संख्या 1660 रकबा 0.34 है0 मे से 0.0150 है0, आराजी संख्या 1671 रकबा 0.62 है0 मे से 0.0200 है0, आराजी संख्या 1674 रकबा 0.65 है0 मे से 0.0150 है0, आराजी संख्या 1695 रकबा 0.65 है0 मे से 0.0200 है0 भूमि उत्तरी मेड़ के सहारे सहारे कुल भूमि रकबा 0.2000 है0 भूमि रास्ते हेतु स्वीकृत की गई है उनमें से विपक्षी संख्या 6 लगायत 21 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि निशुल्क रास्ता देने की सहमति व्यक्त करने से किसी प्रकार की मुआवजा राशि का भुगतान नही किया जाता है उनके अतिरिक्त विपक्षी संख्या 1 से 5 की आराजी संख्या 1676 रकबा 1.08 है0 मे से 0.0650 है0, यानि 650 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित है जिसकी डीएलसी दर 350606/–रूपये प्रति हेक्टयर से 22789/–रूपये भूमि कीमत बनती है जिसका दुगुना करने पर 45578/–रूपये मुआवजा राशि बनती है उक्त राशि का प्रार्थी द्वारा विपक्षी खातेदारान संख्या 1 लगायत 5 को भुगतान करने पर उक्त आराजियात मे से प्रस्तावित रास्ते का कुल रकबा 0.2000 है0 यानि 2000 वर्गमीटर भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 07.07.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

07/07/2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा